

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Email:-dfo\_pauri\_uta@yahoo.co.in,

Phone/ Fax no:-01368-222215

पत्रांक:- 1569 / 12-1 : दिनांक: पौड़ी, माह, अक्टूबर... 20/2024  
सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बैजरी (गढ़वाल)।

विषय:- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत तहसील-थलीसैंण में गडसारी-कुल्याणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.08 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
सन्दर्भ:- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र सं0 2524/12-1, दिनांक 18-06-2024

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत हुये 5 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। परन्तु विधिवित स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे प्रकरणों में भारत सरकार, पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली की पत्र सं0 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार NPV की संशोधित धनराशि जमा की जानी आवश्यक है, जिसका डिमांड नोट आपको निम्न प्रकार से प्रेषित किया जा रहा है:-

एन0पी0वी0 की धनराशि का भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या-5-3/2011-एफ0सी0, दिनांक 06-01-2022 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है:-

|                             |   |                                                           |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| ईको क्लास                   | - | V <sup>th</sup>                                           |
| हरियाली का घनत्व            | - | 0.4                                                       |
| एन0पी0वी0 की दर प्रति है0   | - | रु0 10,05,210.00                                          |
| आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल | - | 1.08 है0                                                  |
| एन0पी0वी0 की धनराशि         | - | 1.08 X 10,05,210.00 = 10,85,626.80<br>या रु0 10,85,627.00 |

(रु0 दस लाख पिच्चासी हजार छः सौ सत्ताईस) मात्र

आपको पूर्व में प्रेषित डिमांड नोट के अनुसार आपके द्वारा जमा की गई एन0पी0वी0 की धनराशि 9,12,600.00 तथा भारत सरकार के उक्त आदेश के अनुसार आपके द्वारा अवशेष धनराशि जिसे जमा किया जाना है रु0 9,12,600.00 - 10,85,627.00 = 1,73,027.00 (रु0 एक लाख तिहत्तर हजार सत्ताईस) मात्र की धनराशि अतिरिक्त जमा की जानी है।

अतः आप उपरोक्तानुसार एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार धनराशि कैम्पा कोष में जमा करने का कष्ट करें जिससे कि प्रकरण में मथोचित कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को लिखा जा सके।

स्वप्रकृतप्रतिपत्ता (हस्ताक्षर) / स्वप्रकृतप्रतिपत्ति

भवदीय,

(स्वप्निल अनिरुद्ध)

प्रभागीय वनाधिकारी,

गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

पत्रांक 1569 / 12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

(स्वप्निल अनिरुद्ध)

प्रभागीय वनाधिकारी,

गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय,  
पियर्सन रोड,  
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,  
पो 0ओ0 न्यू फॉरेस्ट, देहरादून-248006  
दूर भाषा: 0135-2750809  
ईमेल/Email - [moef.ddn@n-gmail.com](mailto:moef.ddn@n-gmail.com)

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF ENVIRONMENT,  
FORESTS & CLIMATE CHANGE,  
REGIONAL OFFICE,  
Pearsón Road, FRI Campus,  
P.O. New Forest, Dehradun - 248006  
Phone: 0135-2750809

पत्र सं 08बी/यू0सी0पी0/06/41/2016/एफ.सी. 1364

दिनांक: 17.11.2016

सेक्रेट में,

अपर मुख्य सचिव (वन),  
उत्तराखण्ड शासन,  
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद-पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत तहसील-थलीसैण में गडसारी-कुल्याणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.08 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक-215/X-4-16/1(66)/2016 दिनांक 05.04.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online proposal No. FP/UK/ROAD/10588/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

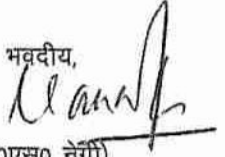
इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय-समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारीयां/दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे हैं, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त व प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद-पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत तहसील-थलीसैण में गडसारी-कुल्याणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.08 है0 वन भूमि के उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.16 है0 ग्राम सकन्याणी की सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बड़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाता में Online portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।
5. सड़क के निर्माण के पश्चात् जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं विन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित अन्य आवश्यक शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बड़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 2.16 है० सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 84 से अधिक न हो।
10. सड़क के निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,  
  
 (एम०एस० नेगी)  
 वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

  
 (एम०एस० नेगी)  
 वन संरक्षक